पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक 9145/अका./२००६ रायपुर, दिनांक १४ सितम्बर,२००६

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक ९०२९/अका./०६ दिनांक ४.८.२००६ के अनुक्रम में पुनर्मूल्यांकन के फ़लस्वरूप लिखित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र आवश्यक निर्देश सहित अधिसूचित किया जाता है।

संबंधित परीक्षार्थी उल्लेखित निर्देश के तहत् लिखित उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति हेतु दिनांक १५ सितम्बर २००६ से आवेदन कर सकते हैं।

आदेशानुसार,

संलग्न- आवेदन पत्र एवं निर्देश की प्रति

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 9146/अका./२००६ रायपुर, दिनांक १४ सितम्बर,२००६

प्रतिलिपि-

१. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
२. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
३. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/कुलअनुशासक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
४. उपकुलसचिव परीक्षा/उपकुलसचिव अकादमिक/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी सूचना का अधिकार/वित्त शाखा/आवासीय अंकेक्षण, पं.र.शु.वि.वि.,रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
५. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
६. संपादक, समस्त दैनिक समाचार पत्र की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित कि उक्त समाचार अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

छायाप्रति प्रकोष्ट का
कमांक –

पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वंय भरें एव भरने के पूर्व नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें ।

प्राचार्य द्वारा
सत्यापित नवीनतम
छायाचित्र

प्रति

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझे पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदित विषय में से निम्नलिखित प्रश्न पत्र की पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति प्राप्त करने अनुमति/पात्रता नियमानुसार प्रदान करें।

1. परीक्षार्थी का नाम	
2. पिता/पति का नाम	
3. घर का पता तथा टेलीफोन नं.	
4. परीक्षा का नाम	
5. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र का नाम एवं पता	
6. परीक्षार्थी का रोल नं.	
7. परीक्षार्थी का नामांकन नं.	
8. पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणाम घोषण की तिथि	
9 . छाया प्रति हेतु आवेदित प्रश्नपत्रों का नाम	1.
	2.

10. निर्धारित शुल्क रू................................ (अक्षर रूपये) ....

विश्वविद्यालय कार्यालय में संलग्न नगद रसीद क./बैंक ड्राफ्ट नं............................... दिनांक .... से जमा किया है।

(1). मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर विश्वविद्यालय को मेरा आवेदन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(2). यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति का किसी भी प्रकार दुरूपयोग मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा।

संलग्न – (i) प्रवेश पत्र की छायाप्रति,
(ii) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति ।
(iii) रसीद क./बैंक ड्राफ्ट ।

दिनांक.............................

....
आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति हेतु आवेदन–पत्र संबंधी प्रकिया के निर्देश

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय से पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के छायाप्रति प्राप्ति हेतु निर्धारित नियमों व निर्देशों का समुचित अध्ययन करने के उपरांत, नियमों के अधीन आवेदन करें।
2. परीक्षा परिणाम निर्गमन तिथि से एक माह की अवधि में छायाप्रति शुल्क रूपये 200/– प्रति प्रश्न–पत्र पर जमाकर छायाप्रति हेतु आवेदन किया जा सकता है।
3. निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय के केश काउण्टर में सीधे नगद जमा अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है । बैक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पक्ष में देय होना चाहिए । **अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा ।**
4. छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है । पंजीकृत डाक द्वारा आवेदन पत्र इस पते पर भेजे –

   प्रति,

   कुल सचिव
   पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपूर (छ.ग.)

   अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा । डाक से प्रेषित आवेदन पत्रों पर भी यह नियम लागू होगा ।

   लिफाफे पर मोटे अक्षरों में **"पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन"** अवश्य अंकित करें।
5. आवेदन–पत्र सोच समझ कर सही–सही भरा जावे । आवेदन–पत्र में किसी भी प्रकार का सुधार करने की अनुमति नही दी जायेगी। अभयर्थी केवल **अपनी ही पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति हेतु आवेदन** कर सकता है ।
6. पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र निःशुल्क है । परीक्षार्थी आवेदन–पत्र का प्रारूप संबंधित/अधिकृत महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय के पूछताछ विभाग (स्वागत कक्ष) बस्तर परिसर जगदलपुर या वि.वि. द्वारा अधिसूचित स्थानों अथवा विश्वविद्यालय की वेवसाइट **www.prsu.ac.in** से प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र की छायाप्रति अथवा टंकित प्रति भी मान्य होगी ।
7. आवेदक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करेगे –

   (i) प्रवेश पत्र की छायाप्रति ।

   (ii) पुनर्मूल्यांकन रसीद की छायाप्रति ।
8. **आवेदक का आवेदन पत्र प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष द्वारा अग्रेषित होना आवश्यक है । परीक्षार्थियों को छायाप्रति की सूचना/जानकारी संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से स्वतः लेनी होगी। आवेदक को आवेदित पुनर्मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से स्वयं उपस्थित हेाने पर प्रदान की जायेगी । आवेदक के अतिरिक्त किसी अन्य को छायाप्रति नहीं दी जायेगी ।**
9. परीक्षार्थी अधिकत्तम दो प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का छायाप्रति प्राप्त कर सकता है, दो प्रश्न पत्रों के लिए अलग–अलग दो आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नही है। एक ही आवेदन पत्र में दो प्रश्न पत्रों के लिए निवेदन किया जा सकता है।
10. **पुनर्मूल्यांकन के लिए पात्रता नहीं होने के कारण जिन परीक्षार्थियों को पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र निरस्त किये गये है उन्हें छायाप्रति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।**

कुलसचिव